शोध उपाधि अध्यादेश 2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी.उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2022 के अधीन

शोध एवं नवाचार निदेशालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी (नैनीताल)
विश्वविद्यालय मार्ग,ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे (तीनपानी बाइपास)
हल्द्वानी 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड

शोध उपाधि अध्यादेश 2026

प्रथम अध्यादेश के अध्याय-10 को प्रतिस्थापित करते हुए (विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 2.5(XIV) अनुच्छेद 32.2(क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2026
(शोध परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 6 फरवरी 2026 एवं विद्यापरिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी 2026 और कार्यपरिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2026 में प्राप्त अनुमोदन के उपरांत प्रभावी)

1. प्रारम्भिक

(1.1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुपालन में शोध उपाधि कार्यक्रम के संचालन हेतु यह शोध उपाधि अध्यादेश 2026 है।

(1.2) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अधीन विद्यापरिषद द्वारा अपनायी गयी शोध नीति के अनुसार होंगे।

2. शोध परिषद

(2.1) विश्वविद्यालय की एक शोध परिषद होगी, जो विद्यापरिषद के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शोध कार्यक्रमों के नियोजन, प्रबन्धन, संगठन व अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

(2.2) शोध परिषद अधिनियम, परिनियमों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि) प्रदान करने के मानदण्ड विनियम, 2022 के उपबन्धों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुसंगत दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए निम्न कार्यों को संपादित करेगी।

- (2.2.1) शोध नीति का प्रबन्धन एवं प्रशासन, कार्यक्रम परिकल्पना करना।
- (2.2.2) पंजीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विनिर्मित करना ।
- (2.2.3) मूल्यांकन के लिए शोध मानकों का निर्धारण करना।
- (2.2.4) विद्या शाखा के बोर्ड के लिए सुसंगत शोध क्षेत्र के मानदण्ड / संक्षिप्त लेख / विषयों का अवधारण।
- (2.2.5) शोध प्राथमिकताओं एवं शोध के लिए साधन आवंटन करने के लिए परामर्श देना।
- (2.2.6) विश्वविद्यालय के शोध प्रयासों पर तैयार की गई समेकित रिपोर्ट को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना।
- (2.2.7) शोध कार्य या प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त किसी विशेष शिकायत अथवा असाधारण मामलों में निर्णय देना।
- (2.2.8) शोध विकास एवं समन्वय से संबंधित कोई अन्य कार्य जैसा अध्यक्ष निर्दिष्ट करें ।

(2.3) शोध परिषद का गठन निम्न प्रकार होगा-

अध्यक्ष:	कुलपति, शोध परिषद के अध्यक्ष होंगे।
बाह्य सदस्य:	अन्य विश्वविद्यालयों से दो बाह्य विशेषज्ञ, (कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे)
सदस्य:	समस्त विद्याशाखाओं के निदेशक इसके सदस्य होंगे।
योजना बोर्ड का प्रतिनिधि:	कुलपति द्वारा नामित योजना बोर्ड का एक प्रतिनिधि।
विद्या परिषद का प्रतिनिधि	कुलपति द्वारा नामित विद्या परिषद एक प्रतिनिधि।
सदस्य सचिव	निदेशक शोध, शोध परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

(2.4) सदस्यों का कार्यकाल नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्ष तक होगा।

(2.5) शोध परिषद की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों में गणपूर्ति होगी।

3. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

(3.1) विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (विषयों) में जहां पर शोध निर्देशक उपलब्ध हैं, पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

(3.2) 4-वर्षीय / 8-सेमेस्टर उपाधि कार्यक्रम के बाद 1-वर्ष /2-सेमेस्टर स्नात्कोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय / 4-सेमेस्टर स्नात्कोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नात्कोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता,जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिन्दु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आंकलन एवं प्रात्यायन ऐजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृति एवं प्रत्यायित हैं जो कि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित है के समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

(3.3) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन- क्रीमी लेयर); दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार निर्धारित 5 प्रतिशत अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रदान की जायेगी ।

(3.4) एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थानों से समकक्ष

उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन ऐजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जोकि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यार्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

4. पाठ्यक्रम की अवधि

(4.1) पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी और अंशकालिक पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए यह अवधि कम से कम चार (4) वर्ष होगी जिसमें पाठ्यकार्य (कोर्सवर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

(4.2) इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत कुलपति द्वारा पंजीकरण की अवधि के विस्तार की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत, यदि एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो पुनः एक और वर्ष का विस्तार प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम दो (02) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।। बशर्ते कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले) को दो वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालाँकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामलों में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4.3) महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश हेतु प्रक्रिया

(5.1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पीएच.डी. प्रवेश संबंधी विनियमों के आधार पर, विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC-NET/CSIR-NET/GATE/CEED/ICAR-NET/ICMR-NET अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त स्कोर को प्रवेश का आधार बनाया जायेगा। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के 27 मार्च 2024 के पत्र (No.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024 (NET)/140648) की तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार-

श्रेणी	अर्ह
Qualified for निम्नलिखित हेतु योग्य	Ph.D. Admission पीएच.डी. में प्रवेश हेतु योग्य
Category 1- Award of JRF and appointment as Assistant Professor श्रेणी–1 : जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) एवं सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति, पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 2- Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D. श्रेणी–2 : सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 3 – Admission to Ph.D श्रेणी–3 पीएच.डी. में नामांकन	YES हाँ /अर्ह

(5.2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जो कि प्रतिशतांक (Percentile) के रूप में घोषित होता है को पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु मानदंड के रूप में लिया जाएगा। श्रेणी 1 अर्थात् जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा | साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा | अतः जे० आर० एफ० अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 100 प्रतिशत भारांक प्रदान किया जायेगा | तीनों श्रेणी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा नीति के अनुरूप साक्षात्कार में न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम 11 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा | जे० आर० एफ० अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी |

श्रेणी 02 और 03 में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशतांक को 70% का भारांक प्रदान किया जाएगा तथा साक्षात्कार को 30% का भारांक/महत्त्व प्रदान किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 70% भारांक और साक्षात्कार के 30% भारांक को सम्मिलित कर तैयार की जाएगी, तथा अंकों को दो दशमलव स्थान तक लिया जाएगा। पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको के समतुल्य पैमाने से अर्जित अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की गई अंतिम श्रेष्ठता सूची के माध्यम से किया जाएगा।

श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों द्वारा NET में प्राप्त अंक पीएच०डी० प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे। पीएच.डी. हेतु उपलब्ध सीटों का आवंटन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में क्रमानुसार अगले योग्य उम्मीदवार को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई चयनित आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में अगले योग्य आवेदक को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा।

यदि किसी आरक्षित सीट के लिए कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं करता है, तो वह सीट प्रवेश के लिए निर्धारित नीति के अनुसार अन्य श्रेणियों को आबंटित की जाएगी और प्रवेश निर्धारित श्रेष्ठता (मेरिट) सूची के आधार पर दिया जाएगा।

श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने के लिए औसत अंकों को दशमलव के दो (02) स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा।

श्रेणी 2 एवं 3 हेतु श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं साक्षात्कार—दोनों के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा।

(5.3) विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तय कर सकता है।

(5.4) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक / नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा ।

(5.5) अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि / क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत साक्षात्कार समिति गठित की जाएगी। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं साक्षात्कार का मूल्यांकन करेगी।

साक्षात्कार हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्न तीन बिन्दुओं पर आधारित होगी

1. अवधारणा-पत्र लेखन,

2. शोध अभिरूचि संबंधी प्रस्तुतीकरण, एवं

3 मौखिक साक्षात्कार,

साक्षात्कार कुल 30 अंक पर आधारित होगा ।

अवधारणा पत्र (Concept Note) का मूल्यांकन: अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

- विषय-वस्तु (Content): विषय की प्रासंगिकता, शोध विचार की स्पष्टता और प्रस्तुत जानकारी की गुणवत्ता।
- संरचना / तर्क का विकास (Structure/Development of Argument): तर्कों की तार्किक प्रस्तुति, क्रमबद्धता और विचारों का व्यवस्थित विकास।
- भाषा (Language): शैक्षणिक भाषा की स्पष्टता, सटीकता और व्याकरणिक शुद्धता।
- सुसंगतता (Coherence): विचारों की आपसी संगति और प्रस्तुति में निरंतरता।
- मौलिक विचार और विचारों का समर्थन / विश्लेषण (Original thought and Support of Ideas / Analysis): नवीनता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विचारों का समर्थन और विश्लेषणात्मक क्षमता।

शोध प्रस्ताव पर प्रस्तुति (Research Proposal Presentation): अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रस्तावित शोध विषय पर पीपीटी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, जिसका मूल्यांकन निम्न आधारों पर किया जाएगा:

- संप्रेषण कौशल (Communication Skills): विचारों और तर्कों को स्पष्ट, प्रभावी और आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता।
- विषय-वस्तु (Content): प्रस्तुति में शामिल विषय की प्रासंगिकता और शोध संबंधी जानकारी की गुणवत्ता।
- विचारों की स्पष्टता (Clarity of Thoughts): शोध विषय और उद्देश्यों की स्पष्ट समझ और तार्किक व्याख्या।
- समस्या का सूत्रीकरण (Formulation of Problem): शोध समस्या की पहचान, परिभाषा और औचित्य।
- प्रस्तुति संरचना (Structure of PPT): स्लाइड प्रस्तुति की क्रमबद्धता, दृश्य प्रभाव और तार्किक संगठन।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार (Interview) व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी की समग्र शोध-योग्यता का आकलन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा।
- शोध अभिमुखता (Research Orientation): शोध के प्रति रूचि, दृष्टिकोण और अनुसंधान पद्धति की समझ।
- विषयगत गहराई (Depth of the Subject): शोध विषय की अवधारणाओं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक गहराई की समझ।
- स्व-प्रेरणा / पहल (Self-Motivation/Initiative): कार्य के प्रति सक्रियता, पहल और अनुसंधान में स्वतंत्रता।
- निर्णय क्षमता (Judgment/Decision Making): विश्लेषणात्मक क्षमता और उचित निर्णय लेने की योग्यता।
- संगठन एवं योजना कौशल (Organization/Planning Skills): समय प्रबंधन, कार्य योजना और अनुसंधान के व्यवस्थित आयोजन की क्षमता।

(5.6) साक्षात्कार में निम्न पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।

(i) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।

(ii) क्या प्रस्तावित शोधकार्य सुलभता पूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(iii)) क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

(5.7) अभ्यर्थियों के शोध रूचि क्षेत्र के परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु विधिवत समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा-

(क) संबंधित विद्याशाखा के निदेशक

(ख) संबंधित विषय की शोध उपाधि समिति (आरडीसी) का संयोजक उक्त समिति का संयोजक होगा।

(ग) शोध पर्यवेक्षण / निर्देशन हेतु सम्बन्धित विषय के अर्ह प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक समिति के सदस्य होंगे।

(घ) संबंधित विषय हेतु कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ

उक्त समिति विद्याशाखा के निदेशक के निर्देशन में प्रस्तुतीकरण तथा साक्षात्कार का संचालन करेगी। संयोजक विद्याशाखा के निदेशक के माध्यम से साक्षात्कार समिति के विधिवत गठन हेतु माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त साक्षात्कार का आयोजन करेंगे।

(5.8) संबंधित विभाग के लिए गठित समिति द्वारा प्रदान किए गए साक्षात्कार अंकों और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको का योग अंतिम संयुक्त श्रेष्ठता सूची तैयार करने हेतु किया जाएगा।

6. प्रवेश संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पीएच.डी. के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेगा तथा सभी पंजीकृत शोधार्थियों की सूची को भी वेबसाईट में प्रदर्शित करेगा और वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तिथि/ संख्या, उसके शोध का विषय, तथा निर्देशक /सह-निर्देशक का विवरण आदि सम्मिलित होंगे।

प्रवेश संबंधी समस्त सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएँगी।

7. पंजीकरण:

(7.1) प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा काउंसलिंग के उपरान्त प्री.-पीएच.डी. पाठ्यकार्य के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम प्रवेश फार्म तथा प्री-पीएच0डी कोर्स वर्क शुल्क जमा किया जाएगा। इस तिथि को पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण तिथि माना जायेगा।

(7.2) पाठ्यकार्य (कोर्स वर्क) की अवधि शोध कार्य की अवधि के साथ जोड़कर कुल अवधि की गणना की जायेगी।

(7.3) शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुनर्पंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा किसी कारण से पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुनर्पंजीकरण के लिए आवेदन यदि शोधार्थी के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से कम अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित विषय के संयोजक और निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

(7.4) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कारणों से भी शोधार्थी का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है;

(i) शुल्क का भुगतान न करने पर।

(ii) असंतोषजनक प्रगति।

(iii) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।

(iv) विहित समय सीमा के भीतर डिजर्टेशन / थीसिस प्रस्तुत न करने पर।

(v) शोधार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर प्रकरण अनुशासन समिति को संदर्भित किया जायेगा और समिति की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7.5) कार्यक्रम शुल्क में पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित किए जाने वाले अन्य शुल्क सम्मिलित होंगे, वार्षिक शुल्क सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम/ विदेशी शोधार्थियों के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम शुल्क दरें अलग होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेंगी|

(8) **शोध पर्यवेक्षक/ निर्देशक का निर्धारण:** शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि।

(8.1) विश्वविद्यालय के प्राध्यापक /सह-प्राध्यापक के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जिन्होंने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच (5) शोध प्रकाशित किए हैं और सहायक प्राध्यापक के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन (3) शोध पत्र प्रकाशित किए गए हो उन्हें विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है ।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई भी पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिका नहीं हैं या केवल सीमित संख्या में हैं, तो विश्वविद्यालय लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट प्रदान कर सकता है।

(8.2) केंद्र सरकार / राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनका पंजीकरण उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के समकक्ष हैं,उन्हें संबन्धित पीएच.डी. शोधार्थी हेतु सह-पर्यवेक्षक के रुप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं। बशर्ते इस हेतु पूर्व से आवेदन किया गया हो और संबन्धित शोध उपाधि समिति द्वारा अनुशंसा की गई हो और उपरोक्त पर कुलपति से अनुमोदन लिया गया हो।

ऐसी परिस्थितियों में, जब किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के शोध पर्यवेक्षक को सह-पर्यवेक्षक (Co-Supervisor) के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, तो शोध पर्यवेक्षक सर्वप्रथम शोध परामर्श समिति (RAC) से अनुमोदन प्राप्त करेगा/करेगी। प्रस्तावित सह-पर्यवेक्षक (Co-Supervisor) द्वारा अपनी लिखित सहमति/अनुमोदन प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात, प्रस्ताव को शोध उपाधि समिति (आर.डी. सी) के समक्ष उसकी अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आर.डी. सी की अनुशंसा के उपरांत, प्रकरण पर कुलपति का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में संबंधित संस्थान/संगठन को सूचित करना सह-पर्यवेक्षक का दायित्व होगा। सह-पर्यवेक्षक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा। शोध पर्यवेक्षक और सह- पर्यवेक्षक का यह भी दायित्व होगा कि सम्बन्धित संस्थान के साथ विश्वविद्यालय का एमओयू हस्ताक्षरित करवा लिया जाए|

(8.3) ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी /बहु विषयी स्वरूप के हैं, के लिए संबन्धित विभाग या एक ही विद्याशाखा के अन्य विभागों या अन्य विद्याशाखाओं के अर्ह प्राध्यापकों /सह प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों को शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदन के उपरांत सह-पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है।

(8.4) चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(8.5) किसी एक समय के दौरान कोई भी प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक /सह पर्यवेक्षक के रूप में आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। सह प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम छह (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्राध्यापक अधिकतम चार (04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

(8.6) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(8.7) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को 3 वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नये शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ऐसे संकाय सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थी का पर्यवेक्षण जारी रख सकते है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते हैं उसके पश्चात नहीं।

(8.8) यदि कोई शोधार्थी अपने वर्तमान शोध पर्यवेक्षक के अधीन कार्य नहीं करना चाहता है, तो वह नियमानुसार पर्यवेक्षक परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा। इस हेतु शोधार्थी को एक लिखित आवेदन उचित कारणों के साथ संबंधित विद्याशाखा के निदेशक को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात्, आवेदन पर वर्तमान शोध पर्यवेक्षक की टिप्पणी या सहमति (अनुशंसा अथवा आपत्ति सहित कारणों के साथ) दर्ज की जाएगी।। यदि सहमति न हो तो मामला विश्वविद्यालय की शोध उपाधि समिति (RDC) द्वारा विचाराधीन होगा। नये पर्यवेक्षक हेतु विभागीय शोध समिति उपलब्ध रिक्त पर्यवेक्षक क्षमता को देखते हुए नए पर्यवेक्षक की अनुशंसा करेगी। इस हेतु विषय क्षेत्र की प्रासंगिकता और यूजीसी पीएच.डी. नियमानुसार शोध पर्यवेक्षक-शोधार्थी अनुपात भी ध्यान में रखा जायेगा। इस हेतु विभागीय शोध समिति द्वारा नये पर्यवेक्षक की अनुशंसा करने के उपरांत अंतिम स्वीकृति कुलपति द्वारा दी जाएगी और स्वीकृति के उपरान्त कुलसचिव द्वारा इस आशय का औपचारिक आदेश निर्गत किया जाएगा।

(8.9) यदि कोई शोध पर्यवेक्षक अपने शोध पर्यवेक्षण में शोधार्थी को शोध कार्य नहीं कराना चाहता है तो पर्यवेक्षक को लिखित रूप से कारण सहित संबंधित विद्याशाखा के निदेशक को सूचित करना होगा। उक्त आवेदन को विभागीय शोध समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। समिति शोधार्थी को भी उसका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगी तथा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यवेक्षक की मांग शैक्षणिक व प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। यदि समिति सहमत होती है कि पर्यवेक्षक अब मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो संबंधित शोधार्थी के लिए उपलब्ध क्षमता वाले अन्य पर्यवेक्षक की

अनुशंसा की जायेगी। इस हेतु विषय क्षेत्र की प्रासंगिकता और यूजीसी पीएच.डी. नियमानुसार शोध पर्यवेक्षक-शोधार्थी अनुपात भी ध्यान में रखा जायेगा। विभागीय अनुशंसा को विश्वविद्यालय की शोध उपाधि समिति/ कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। इसके बाद ही नये पर्यवेक्षक नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी होगा। पर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस प्रक्रिया से शोधार्थी की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित न हो तथा शोध अवधि, पंजीकरण आदि में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(8.10) शोध निर्देशकों द्वारा अन्यत्र विश्वविद्यालयों में सेवायें देने तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सम्बन्धित सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक के निर्देशन में पंजीकृत/पंजीकरण हेतु प्रस्तावित शोधार्थियों को संबन्धित विषय के अन्य शोध पर्यवेक्षक के साथ संबद्ध कर लिया जायेगा तथा पूर्व शोध निर्देशक को सह-निर्देशक के रूप में नामित किया जायेगा ताकि शोध कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

(8.11) यदि कोई पीएच.डी. शोधार्थी छह माह से अधिक अवधि तक शोध पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या प्रगति आख्या सम्मिलित नहीं करता है और कम से कम चार (04) आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से किए गए संप्रेषण का उत्तर नहीं देता है, अथवा लगातार दो छमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो प्रकरण को उपयुक्त कार्रवाई हेतु शोध सलाहकार समिति (RAC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात्, शोध सलाहकार समिति (RAC) की स्वीकृति एवं अभ्यर्थी को विधिवत सूचना प्रदान किए जाने के उपरांत, प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी रिक्त सीट का प्रवेश अगले शैक्षणिक सत्र में विज्ञप्ति द्वारा किया जाएगा।

(8.12) प्रत्येक प्रवेश चक्र में शोध पर्यवेक्षण हेतु अर्ह सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक व प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक के रूप में अपने पास रिक्त सीटों की संख्या का 50% ही प्रकाशित करेगा।

9. अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों का पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश-

(9.1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच0डी0 शोधार्थी हेतु अनुमान्य संख्या से अतिरिक्त दो अंतराष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड 8.5 में निर्दिष्ट है।

(9.2) विश्वविद्यालय संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिला किया जा सकता हैं।

(9.3) विश्वविद्यालय, संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों का पालन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिला प्रत्येक मामले के आधार पर (case-to-case basis) तय करेगा। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया और चयन की विधिवत सूचना उचित माध्यम से राज्य सरकार को दी जाएगी।

(9.4) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पीएच०डी० प्रवेश की पात्रता भारत के अन्य आवेदकों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अंकों और अन्य मानदंडों के समान होगी, जब तक कि संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दिशा-निर्देश या मानदंड जारी न किए जाएँ। प्रक्रिया में साक्षात्कार (Interview), पूर्व शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध प्रस्ताव (Research Proposal) और आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज शामिल होंगे।

(9.5) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष शुल्क संरचना लागू होगी, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। विश्वविद्यालय की शेष सामान्य नीतियों इन छात्रों पर भी लागू होंगी।

10. किसी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या बिन्दु 8.5 और बिन्दु 9.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. पाठयकार्य (कोर्स वर्क) - क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या अवधि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदंड आदि।

(11.1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिसमें ‘‘शोध और प्रकाशन नैतिकता’’ कोर्स जैसा कि यूजीसी द्वारा डी0ओ0 मि0 संख्या 1-1/ 2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती है।

(11.2) सभी पीएच.डी. शोधार्थियों को अपनी शोधकार्य अवधि के दौरान अध्ययन विषय की परवाह किये बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/शिक्षा शास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे शिक्षण/ शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

(11.3) एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंध (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए प्री-पीएच0डी कोर्स वर्क में न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी 10-प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

(11.4) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(11.5) पीएच.डी. कोर्सवर्क की कुल अवधि छह (06) माह होगी। यदि कोई शोधार्थी छह (06) माह की अवधि में पाठ्य-कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अतिरिक्त छह (06) माह का एक और सत्र प्रदान किया जा सकता है। यदि प्रवेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भी शोधार्थी पाठ्य-कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसका प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा।

(11.6) प्रत्येक शोधार्थी के लिए कोर्सवर्क में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

केवल उन विशेष परिस्थितियों में, जो वास्तविक और प्रमाणित प्रतीत हों, एवं शोध निदेशक की अनुशंसा पर माननीय कुलपति द्वारा 5% की छूट उपस्थिति मानदंड में प्रदान की जा सकती है | बशर्ते सम्बन्धित शोधार्थी को उतने दिनों की कक्षाओं का ‘‘अतिरिक्त कक्षाओं’’ द्वारा पाठ्यकार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा |

(11.7) शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक तथा संबंधित विद्याशाखा के निदेशक से परामर्श के उपरांत शोध पद्धति से संबन्धित प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम से भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं | किन्तु ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि (01) माह की होगी | यदि एक (01) माह की अवधि का कोई ऑनलाइन

पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है, तो एक माह की अवधि के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के संयोजन को स्वीकार किया जा सकता है| परन्तु ऐसे सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम पीएच.डी. शोध कार्य से सम्बन्धित होने चाहिए तथा प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों से किये गये होने चाहिए, जैसे- SWAYAM, www.edx.org, www.nptel.ac.in, www.aima.in, www.britishcatalog.org, MIT Opencourseware, www.khanacademy.org आदि। उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम विनियम), 2022 के अंतर्गत तथा उसके अनुरूप होंगे।

(11.8) पाठ्य-कार्य (Course Work) केवल विश्वविद्यालय के मुख्यालय में ही संचालित किया जाएगा।

(11.9) यदि किसी अभ्यर्थी ने पीएच.डी. पाठ्यक्रम का पाठ्य-कार्य (Course Work) किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से पूर्ण किया है, तो उसे संबंधित विश्वविद्यालय से उक्त पाठ्य-कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए CW-05 (Research and Publication Ethics) मॉड्यूल को इस विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. शोध सलाहकार समिति तथा उसके कार्य

शोध अध्यादेश में परिभाषित, प्रत्येक पीएच.डी. शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी। शोधार्थी का पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा ।इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे-

(12.1) शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

(12.2) शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

(12.3) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(12.4) शोधार्थी द्वारा पीएच.डी. कोर्सवर्क सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रत्येक छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। शोध सलाहकार समिति (RAC) पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी संस्तुतियाँ निदेशालय (Directorate) को प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही, ऐसी संस्तुतियों की एक प्रति पीएच.डी. शोधार्थी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(12.5) यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर शोध उपाधि समिति को इसकी सिफारिश कर सकती है।

शोध सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नवत होगा-

शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक	संयोजक

सम्बन्धित विभाग के प्राध्यापक,सहप्राध्यापक एवं
सहायक प्राध्यापक जो शोध निर्देशन हेतु अर्ह हों- सदस्य

13. शोध उपाधि समिति

विश्वविद्यालय पीएच.डी. कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ एक शोध उपाधि समिति होगी। इस समिति के निम्न उत्तरदायित्व होंगे-

(13.1) शोधार्थी के शोध शीर्षक का निर्धारण व अनुमोदन करना।

(13.2) शोधार्थी शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शोध रूपरेखा के संबंध में एक प्रस्तुति देगा तथा समिति से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(13.3) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(13.4) शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिये सिफारिश करना।
शोध उपाधि समिति का गठन निम्नवत होगा-

कुलपति अथवा उनके नामित -	अध्यक्ष
सम्बन्धित विद्याशाखा का निदेशक-	सदस्य
सम्बन्धित विषय विभाग का अध्यक्ष / शोध पर्यवेक्षक-	संयोजक
कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ- जिसमें एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।	सदस्य
सम्बन्धित विषय के अर्ह शोध पर्यवेक्षक -	सदस्य
निदेशक शोध अथवा उनके नामित-	सदस्य

(13.5) पाठ्यकार्य पूर्ण करने की तिथि से छः (06) माह के भीतर शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। यदि कोई शोधार्थी पाठ्यकार्य पूर्ण करने के छह (06) माह के भीतर शोध प्रस्ताव (Synopsis) प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे पाठ्यकार्य पूर्ण होने की तिथि से एक (01) वर्ष के भीतर शोध प्रस्ताव शोध उपाधि समिति (RDC) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(13.6) शोध उपाधि समिति (आर0डी0सी0) के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।

14. उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि।

(14.1) पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत, तथा उपरोक्त खंड 11.3 में निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात्, पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर, विश्वविद्यालय में निर्धारित समयसीमा के भीतर, शोधार्थी को अपने शोध प्रबंध/थीसिस का मसौदा जमा करना होगा, जैसा कि इन विनियमों में यथानिर्दिष्ट है।

(14.2) शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व, पीएच.डी. शोधार्थी को अपना शोध प्रबंध/थीसिस की प्रस्तुति शोध सलाहकार समिति के समक्ष देनी होगी, जिसमें संबंधित विद्याशाखा के सभी सदस्य तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित रहेंगे। शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रदान की गई प्रतिपुष्टि और टिप्पणियों को शोधार्थी अपने शोध प्रबंध/थीसिस में उचित रूप से शामिल करेगा। शोधार्थी को शोध प्रबंध/थीसिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 45 दिनों की अवधि के भीतर शोध एवं नवाचार निदेशालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। अग्रसारण पत्र में यह घोषित किया जाएगा कि आवश्यक सभी संशोधन/सुधार कर लिए गए हैं तथा शोध प्रबंध अंतिम रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(14.3) शोध कार्य में साहित्यिक चोरी (Plagiarism) का पता लगाने हेतु **UGC** द्वारा सुझाए गए अथवा विश्वविद्यालय में उपलब्ध उन्नत सॉफ़्टवेयर से परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा । शोध की सत्यनिष्ठा (Research Integrity) पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की सभी गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगी।

(14.4) पीएच.डी. शोधार्थी अपने शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

1. **शोधार्थी का वचन-पत्र:** जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि प्रस्तुत शोध प्रबंध/थीसिस में किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी (Plagiarism) नहीं हुई है।
2. साहित्यिक चोरी (Plagiarism) परीक्षण प्रमाणपत्र |
3. **शोध पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र:** जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि शोध प्रबंध/थीसिस मौलिक है और इसे किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा के पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(14.5) पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप संदर्भित (Refereed/Peer-Reviewed), Scopus, ABDC सूचीबद्ध या अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष शोध पत्रिका सूची में शामिल पत्रिका में प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध / थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों /संगोष्ठिया में न्यूनतम दो शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। शोधार्थी द्वारा शोध प्रबंध/थीसिस का प्रकाशन और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत करना केवल संक्षिप्त शोध प्रस्ताव (Synopsis) जमा करने के उपरांत ही पूर्ण किया जा सकेगा।

(14.6) शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच.डी. शोध प्रबंध ग्रंथ विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन एवं टिप्पणी हेतु दो बाह्य परीक्षकों को भेजा जाएगा इस हेतु सम्बन्धित विभाग के संयोजक अथवा विद्याशाखा का निदेशक और शोध पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित विशिष्टकरण के 5-5 बाह्य परीक्षकों की सूची शोध निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी तथा कुलपति द्वारा प्रत्येक सूची में से 1-1 विशेषज्ञों को बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जाएगा जिसमें से कम से कम एक परीक्षक अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से होना आवश्यक होगा। अन्य प्रासंगिक प्रक्रियाओं और मूल्यांकन रिपोर्ट

के आधार पर मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मौखिक परीक्षा शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाएगी। इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग व संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ /शोधकर्त्ता भी भाग ले सकते हैं।

(14.7) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षका की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो।

पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस के मूल्यांकन में यदि किसी बाह्य परीक्षक की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है और उसमें मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) की सिफारिश नहीं की जाती है, तो विश्वविद्यालय अनुमोदित परीक्षक पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है, तो तभी मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक होती है, तो शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और शोधार्थी को पीएच०डी० उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।

(14.8) पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें वाइवा-वोसे (Viva-Voce) और परिणाम की घोषणा शामिल है, शोधार्थी द्वारा थीसिस जमा करने की तारीख से छह (06) माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यक पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया तय समय में पूरी की जा सके।

(14.9) पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस का बाह्य मूल्यांकन (External Evaluation) अधिकतम तीन (03) माह की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। न्यूनतम मूल्यांकन अवधि तीस (30) दिन होगी, ताकि बाह्य परीक्षक को पर्याप्त समय उपलब्ध हो और मूल्यांकन संपूर्ण रूप से किया जा सके। शोधार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी पीएच.डी. मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) की तिथि और मौखिक परीक्षा हेतु सूचना देने के बीच कम से कम पंद्रह (15) दिन का अंतर आवश्यक होगा।

(14.10) जहाँ आवश्यक हो, शोध कार्य हेतु संस्थागत नैतिक समिति (Institutional Ethical Committee) से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित दिशानिर्देश नैतिक समिति की नीति एवं मानदंडों के अनुसार ही लागू होंगे।

(14.11) पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस के विषय या शीर्षक में परिवर्तन के संदर्भ में, यदि परिवर्तन केवल सूक्ष्म टंकण संशोधन (Minor typing Correction) हैं, तो इसे शोध सलाहकार समिति (RAC) की सिफारिश के माध्यम से अनुमोदित किया जा सकता है। यदि परिवर्तन बड़े स्तर (Major Correction) के हैं, तो अनुमोदन हेतु पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और आवश्यक संशोधन शोध उपाधि समिति (RDC) के माध्यम से ही किये जा सकेंगे | तथापि किसी भी परिस्थिति में पीएच.डी. शोधार्थी को निर्धारित समयसीमा में शोध कार्य और थीसिस पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

15. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0 उपाधि का संचालन

(15.1) अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम केवल उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षकों / केन्द्रीय या राज्य सरकार के शोध संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए ही उपलब्ध होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदकों द्वारा मौजूदा पीएच.डी. विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाए |

(15.2) विश्वविद्यालय को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो किः

(i) उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

(ii) उसके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

(iii) यदि आवश्यक हुआ, तो उम्मीदवार को कोर्सवर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है।

(15.3) अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम से तात्पर्य है ऐसा पीएच.डी. पंजीकरण, जिसमें अभ्यर्थी अपनी सेवाएं जारी रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम सम्पर्क घंटे, जिसमें अभ्यर्थी पाठ्यकार्य एवं अनुसंधान प्रगति पूर्ण करता है। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 4 वर्ष होगी|

(15.4) ऐसे शोधार्थियों को प्रवेश से पूर्व अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हे प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान उम्मीदवार को शोध कार्य के लिए समय देने के लिए सहमत है।

(15.5) अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश, पाठ्यक्रम कार्य (Coursework), संक्षिप्त शोध प्रस्ताव (Synopsis), शोध कार्य (Research), प्रकाशन (Publications) और मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) जैसी सभी प्रक्रियाएं पूर्णकालिक पीएच.डी. नियमों के अनुरूप ही होंगी। अंशकालिक कार्यक्रम में केवल समय-सारणी (Time-frame) और उपस्थिति (Attendance) में लचीलापन प्रदान किया जाएगा।

(15.6) अंशकालिक पीएच.डी. के लिए आवेदनकर्त्ता को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

i. अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में आर डी सी (RDC) को संतुष्ट करना कि उसके कर्तव्य उसे शोध कार्य के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

ii. यह सुनिश्चित करना कि चयनित शोध क्षेत्र में अपने कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार शोध करने की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

(15.7) पीएच.डी.कोर्स वर्क हेतु ऑन-कैम्पस, साप्ताहिक /वीकेंड बैच, ऑन-लाईन टीचिंग अथवा मिश्रित प्रारूप अपनाया जा सकता है।

(15.8) पार्ट-टाईम (अंशकालिक) पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की प्रवेश अधिसूचना में "पार्ट टाईम / कार्यरत शोधार्थी श्रेणी" का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

चयनित अंशकालिक पीएच.डी. उम्मीदवार किसी भी अन्य केंद्रीय/ राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की योजना से पीएच.डी. फेलोशिप/छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ नहीं ले सकते।

इसके अतिरिक्त, अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में अन्य सभी नियम और प्रक्रियाएँ पूर्णकालिक पीएच.डी. नियमों के समान ही लागू होंगी।

(15.9) पीएच.डी. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए कक्षाओं का आयोजन आवश्यकता अनुसार मिश्रित मोड में भी किया जा सकता है।

(15.10) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्टि किसी भी बात के बावजूद विश्वविद्यालय दूरस्थ और मुक्त शिक्षण प्रणाली या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगा ।

(15.11) पीएच.डी. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए पाठ्यकार्य (कोर्स वर्क) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा |

16. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

(16.1) पीएच.डी. उपाधियां प्रदान करने से पूर्व या सुनिश्चित किया जाएगा की शोधार्थी द्वारा सफलतापर्वूक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और पीएच0डी0 उपाधि प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, पीएच.डी. शोधप्रबंध की एक इलैक्ट्रानिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए विश्वविद्यालय में जमा के जा चुकी है ताकि सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

(16.2) विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में एम.फिल. (Master of Philosophy – M.Phil.) उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

17. पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना

(17.1) उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 तथा शोध उपाधि अध्यादेश-2026 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

(17.2) शोधप्रबंध के बाह्य परीक्षक और मौखिकी की अनुशंसाएं विद्यापरिषद को भेजी जायेंगी।

(17.3) शोधार्थी को पीएच.डी. की उपाधि विद्यापरिषद् के अनुमोदन के उपरांत दीक्षांत समारोह में विधिवत प्रदान की जायेगी। तथापि आवश्यक हो तो निर्धारित शुल्क जमा कर वह अनंतिम (प्रोविजनल) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकता है |

18. विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थियों हेतु अवकाश नियम

(18.1) पीएच.डी. कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक शोधार्थी को प्रत्येक अकादमिक सत्र में अधिकतम 30 (तीस) दिन का अवकाश अनुमन्य होगा, जिसमें आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश पर सम्मिलित होगा । अवकाश हेतु शोधार्थी द्वारा उचित कारण सहित, पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(18.2) कोर्स वर्क पूर्ण होने के उपरांत अथवा अवकाश अवधि में, जब कोई निर्धारित शिक्षण/अकादमिक दायित्व न हो, शोधार्थी को शोध पर्यवेक्षक की संस्तुति तथा शोध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। यह अनुमति सहयोगी संगठनों/संस्थानों/उद्योगों के अतिरिक्त स्थानों के लिए होगी तथा इसके लिए आवेदन पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(18.3) शोधार्थी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों अधिसूचनाओं के अनुसार, मैटरनिटी एवं पैटर्निटी लीव के लिए पात्र होंगे।

(18.4) शोधार्थियों के अवकाश की व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। कैलेंडर वर्ष के मध्य में नामांकित शोधार्थियों को आनुपातिक आधार पर अवकाश अनुमन्य होगा।

19. शोध प्रस्ताव (Synopsis)

(19.1) शोध प्रस्ताव (Research Proposal) न्यूनतम पंद्रह (15) पृष्ठों का होना चाहिए।

(19.2) शोध प्रस्ताव (Synopsis) में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा—

1. शोध का शीर्षक (Title of the Thesis): प्रस्तावित शोध विषय का स्पष्ट, सटीक एवं सारगर्भित शीर्षक।
2. शोध समस्या की पृष्ठभूमि एवं प्रेरणा (Background and Motivation of the Research Problem): शोध समस्या की उत्पत्ति, प्रासंगिकता, तथा अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला विवरण।
3. साहित्य समीक्षा एवं अनुसंधान अंतराल (Review of Literature and Research Gap): संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख अध्ययनों की समीक्षात्मक चर्चा एवं वर्तमान शोध द्वारा संबोधित किए जाने वाले अनुसंधान अंतराल की पहचान।
4. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study): शोध के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का स्पष्ट एवं बिंदुवार उल्लेख।
5. अध्ययन की परिसीमाएँ (Delimitation of the Study): अध्ययन की सीमा, दायरा एवं वे पक्ष जिन्हें शोध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
6. शोध पद्धति (Research Methodology): अनुसंधान अभिकल्प, डेटा के स्रोत, प्रतिदर्श चयन, उपकरण, तकनीकें तथा विश्लेषण की विधियाँ।
7. थीसिस की संभावित संरचना/अध्याय रूपरेखा (Tentative Structure / Chapter Outline of the Thesis): शोध प्रबंध के प्रस्तावित अध्यायों का तार्किक क्रम एवं संक्षिप्त विवरण।
8. संदर्भ सूची (Bibliography): शोध में प्रयुक्त एवं उद्धृत पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों एवं अन्य स्रोतों की मानक शैली में सूची।

20. पीएच.डी. शोध प्रबंध (Thesis)

(20.1) शोध प्रस्ताव (Synopsis) में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा

A. प्रारंभिक भाग (Preliminary Pages)

1. **आवरण पृष्ठ (Title Page)**
    - थीसिस का शीर्षक
    - शोधार्थी का नाम
    - नामांकन संख्या
    - विभाग / विद्याशाखा
    - विश्वविद्यालय का नाम
    - उपाधि (Doctor of Philosophy – Ph.D.)
    - प्रस्तुत करने का वर्ष
2. **प्रमाण-पत्र (Certificates)**
    - शोधार्थी का वचनपत्र (Declaration)
    - शोध पर्यवेक्षक का प्रमाण-पत्र
    - साहित्यिक चोरी निषेध प्रमाण-पत्र (Plagiarism Certificate – UGC Suggested Software)
3. **कृतज्ञता ज्ञापन (Acknowledgements)**
4. **सारांश (Abstract)**
    - अधिकतम 300 शब्द
5. **अनुक्रमणिका (Table of Contents)**
6. **तालिकाओं की सूची (List of Tables)**
7. **आकृतियों की सूची (List of Figures)**
8. **संक्षिप्ताक्षर / प्रतीकों की सूची (List of Abbreviations / Symbols)**

B. मुख्य भाग (Main Body of the Thesis)

भूमिका (Introduction)

- शोध की पृष्ठभूमि
- शोध समस्या का विवरण
- उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं (यदि हों) का उल्लेख
- अध्ययन का महत्व एवं परिसीमाएँ

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों की समीक्षात्मक चर्चा
- अनुसंधान अंतराल की पहचान

शोध पद्धति (Research Methodology)

- शोध अभिकल्प
- डेटा के स्रोत एवं नमूना चयन
- अनुसंधान उपकरण एवं तकनीकें
- डेटा विश्लेषण की विधियाँ

डेटा विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Data Analysis and Findings)

- परिणामों की प्रस्तुति
- सांख्यिकीय/गुणात्मक विश्लेषण

चर्चा, निष्कर्ष एवं सुझाव (Discussion, Conclusion and Recommendations)

- प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या
- नीतिगत/व्यावहारिक सुझाव
- भविष्य के शोध की संभावनाएँ

C. समापन भाग (End Matter)

1. संदर्भ सूची (References / Bibliography) APA / MLA / Chicago में
2. परिशिष्ट (Appendices) (यदि हों)
3. प्रश्नावली
4. सहमति पत्र
5. अतिरिक्त तालिकाएँ / दस्तावेज
6. प्रकाशनों की सूची (List of Publications)
7. साहित्यिक चोरी जाँच रिपोर्ट
8. सम्मेलनों/संगोष्ठियों में सहभागिता एवं प्रकाशित शोध पत्रों के प्रमाण

अतिरिक्त टिप्पणी (विश्वविद्यालय कर्मचारियों हेतु)

21. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी के लिए प्रावधान

(21.1) विश्वविद्यालय के कर्मचारी को पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व अपने विभाग/संस्थान के सक्षम अधिकारी से **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate – NOC)** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

NOC में यह स्पष्ट होना चाहिए कि:

- कर्मचारी को अध्ययन हेतु अनुमति है।
- उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध कार्य के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।
- यदि आवश्यक हो, तो कोर्सवर्क या शोध कार्य पूरा करने हेतु कुछ कर्तव्यों से अस्थायी छुट्टी दी जा सकती है।

(21.2) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश, पाठ्यक्रम कार्य (Coursework), संक्षिप्त शोध प्रस्ताव (Synopsis), शोध कार्य (Research), प्रकाशन (Publications) और मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) जैसी सभी प्रक्रियाएं पीएच.डी. नियमों के अनुरूप ही होंगी।

(21.3) पाठ्यक्रम कार्य (Coursework) के दौरान ऐसे आवेदकों के लिए विश्वविद्यालय में प्रतिदिन अतिरिक्त एक (01) घंटे का समय योगदान देना अनिवार्य होगा, जिसमें रविवार (Sunday) को भी उपस्थित रहना आवश्यक होगा। यह प्रावधान इस लिए है कि आवेदक अपने नियमित कर्तव्यों और पाठ्यक्रम कार्य के बीच उचित संतुलन बनाए रख सकें।

(21.4) ऐसे उम्मीदवारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः समान होगी, उन्हें प्रवेश में कोई अतिरिक्त अंक या विशेष वरीयता (Weightage) नहीं दी जाएगी और शुल्क में कोई छूट भी लागू नहीं होगी।

(21.5) यह प्रावधान विश्वविद्यालय के स्थायी एवं संविदा (Contractual) कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

(21.6) यदि संविदा (Contractual) कर्मचारी को संविदा में विस्तार (Extension) प्रदान नहीं किया जाता है, तो उसे अन्य पीएच.डी. शिक्षार्थी के समान पीएच.डी. पूरी करनी होगी।